

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837, , फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(एस-296 / 2023) / अलेसे-III / 6648

दिनांक:- 26/08/2025

कार्यालय आदेश

श्री श्रवण कुमार, कनिष्ठ लेखाकार, (रोल नं.731645) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), कार्यालय कोषाधिकारी जालोर, के पत्र क्रमांक 576 दिनांक 30.06.2025 द्वारा अग्रेषित प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियमों 96 के अन्तर्गत वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 16.06.2025 से 20.06.2025 (05 दिवस)

दिनांक 24.06.2025 से 27.06.2025 (04 दिवस)

कुल (09 दिवस)

उक्त असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री श्रवण कुमार, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), की सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से अनिवार्य रूप से अंकित करावें।



(बृजेश किशोर शर्मा)


निदेशक एवं पदेन

संयुक्त शासन सचिव

दिनांक:- 26/08/2025

क्रमांक:- एफ.4(ई)(एस-296 / 2023) / अलेसे-III / 6648
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कोषाधिकारी, जालोर।
2. वरिष्ठ निजि सचिव निदेशक महोदय।
3. उप निदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा।
4. श्री श्रवण कुमार, कनिष्ठ लेखाकार, (रोल नं.731645) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), कार्यालय कोषाधिकारी जालोर।
5. पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट / निजिपत्रावली।



(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)